| |
|---|
| दिनांक 04.05.2024 |
| प्रेस विज्ञप्ति 04/2024 |

# मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

**<u>जनपद सहारनपुर/थाना चिलकाना</u>**

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 03.05.2024 को थाना चिलकाना पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर दुमझेड़ा पुल के पास चेकिंग के दौरान बदमाशों की घेराबन्दी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त मोनिस उर्फ लालू घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। एक अन्य अभियुक्त मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना चिलकाना पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना चिलकाना पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही हैं।

**<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>**

1–मोनिस उर्फ लालू निवासी मोहल्ला मजहर हसन कस्बा व थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।

**बरामदगी**

1–01 मोटर साइकिल।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

## जनपद कुशीनगर/थाना कप्तानगंज

- **15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनॉकः 04.05.2024 को थाना कप्तानगंज पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पुरस्कार घोषित अभियुक्त सोनू कुमार उर्फ कन्हैया को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना हाटा जनपद कुशीनगर पर पंजीकृत गैंगेस्टर एक्ट के अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कप्तानगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त**

1– सोनू कुमार उर्फ कन्हैया निवासी भटवलिया थाना तमकुहीराज जनपद कुशीनगर।

## जनपद हरदोई/थाना बिलग्राम

- **पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **09 किलो डोडा पोस्ता छिलका**
- **01 मोटर साइकिल**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 04.05.2024 को थाना बिलग्राम व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर परसोला बार्डर पर चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाशों की घेराबन्दी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी, जिसमें दो पुलिसकर्मी घायल हो गये। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–सुरेन्द्र घायल हो गया, जिसे अभियुक्त 2–नरेश उर्फ आजाद सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से

09 किलो डोडा पोस्ता छिलका, 01 मोटर साइकिल, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त सुरेन्द्र के विरूद्ध जनपद बदायूं, शाहजहाँपुर, सम्भल, बिजनौर, अमरोहा, रामपुर के विभिन्न थानों पर लूट, चोरी, हत्या का प्रयास, धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट आदि के 10 अभियोग व अभियुक्त नरेश उर्फ आजाद के विरूद्ध जनपद फिरोजाबाद के विभिन्न थानों पर चोरी, धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के लगभग आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना बिलग्राम पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त**

1–सुरेन्द्र निवासी ग्राम दरियापुर राजदेवे थाना नखासा जनपद सम्भल।

2–नरेश उर्फ आजाद निवासी मराहट थाना शिवलाकला जनपद बिजनौर।

**बरामदगी**

1–09 किलो डोडा पोस्ता छिलका।

2–01 मोटर साइकिल।

3–02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

**जनपद अयोध्या/थाना कैन्ट**

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट की घटना का अनावरण**
- **लूटे गये सोने–चॉदी के आभूषण**
- **02 मोबाइल फोन**
- **एटीएम कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड**
- **01 मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस आदि बरामद**

दिनॉकः 04.05.2024 को थाना कैन्ट व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर गद्दोपुर क्रासिंग के पास से 02 अभियुक्तों 1–विनीत 2–अभियुक्ता

को गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूटे गये सोने–चॉदी के आभूषण, 02 मोबाइल फोन, एटीएम कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, 01 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना कैन्ट क्षेत्रान्तर्गत बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कैन्ट पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण उक्त घटना से सम्बन्धित हैं। गिरफ्तार अभियुक्त विनीत के विरूद्ध जनपद सुल्तानपुर, अयोध्या के विभिन्न थानों पर लूट, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 07 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना कैन्ट पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>**

1–विनीत निवासी हरखीपुर थाना कुड़वार जनपद सुल्तानपुर।

2–अभियुक्ता ।

**<u>बरामदगी</u>**

1–लूटे गये सोने–चॉदी के आभूषण।

2–02 मोबाइल फोन।

3–एटीएम कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड।

4–01 मोटर साइकिल।

5–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस आदि ।

# ए0एन0टी0एफ0 थाना गाजीपुर/गोरखपुर

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 15 करोड़ 02 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 03 किलो 04 ग्राम मेफेड्रान (एम0डी0ड्रग्स)**
- **14 हजार रूपये नगद**
- **02 मोबाइल फोन बरामद**

दिनॉकः 03.05.2024 को ए0एन0टी0एफ0 थाना गाजीपुर/गोरखपुर की संयुक्त टीम द्वारा सूचना के आधार पर गायत्री किराना स्टोर रून्दावन कॉलोनी इकवीरा घामसन रोड, कटई बदलापुर पाइप लाइन रोड नेवाडी तालुका अम्बरनाथ, थाना हिल लाइन जनपद ठाणे, महाराष्ट्र से अभियुक्त राजेश कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लगभग 15 करोड़ 02 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 03 किलो 04 ग्राम मेफेड्रान (एम0डी0ड्रग्स), 14 हजार रूपये नगद, 02 मोबाइल फोन बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना हिल लाइन जनपद ठाणे, महाराष्ट्र पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

## गिरफ्तार अभियुक्त

1—राजेश कुमार निवासी सुभाषपुर थाना मडियाहू जनपद जौनपुर, हालपता—कटाई नाका पाइप लाइन रोड धामटन ग्रैंड वीरा होटल के पास थाना हिल लाइन जनप ठाणे, महाराष्ट्र।

## बरामदगी

1—लगभग 15 करोड़ 02 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 03 किलो 04 ग्राम मेफेड्रान (एम0डी0ड्रग्स)।

2—14 हजार रूपये नगद।

3—02 मोबाइल फोन।

## जनपद औरैया/थाना बिधूना

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट/चोरी की 05 मोटर साइकिल**
- **01 मोबाइल फोन**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस आदि बरामद**

दिनॉकः 04.05.2024 को थाना बिधूना पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रौदापुर मोड़ के पास से 02 अभियुक्तों 1–संजीव कुमार 2–अमित कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट/चोरी की 05 मोटर साइकिल, 01 मोबाइल फोन, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त संजीव कुमार के विरूद्ध जनपद औरैया, इटावा, कमिश्नरेट कानपुर नगर के विभिन्न थानों पर लूट, वाहन चोरी, हत्या का प्रयास, आबकारी एक्ट, आर्म्स एक्ट, गुण्डा एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 29 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना बिधूना पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### गिरफ्तार अभियुक्त

1–संजीव कुमार निवासी चकरपुर थाना बिधूना जनपद औरैया।

2–अमित कुमार निवासी कैंजरी थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात।

### बरामदगी

1–लूट/चोरी की 05 मोटर साइकिल।

2–01 मोबाइल फोन।

3–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस आदि।

## जनपद बुलन्दशहर/ए0एन0टी0एफ0 थाना मेरठ

- **02 मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार**
- **लगभग 04 करोड़ 25 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 17 कुण्टल 11 किलो 40 ग्राम अवैध डोडा**
- **घटना में प्रयुक्त कार**
- **03 मोबाइल फोन बरामद**

दिनॉकः 03.05.2024 को ए0एन0टी0एफ0 थाना मेरठ पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर क्यांश रेस्टोरेंट होटल, खुर्जा–झाझर रोड से 02 मादक पदार्थ तस्करों 1–तौफीक 2–इमरान को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही लगभग 04 करोड़ 25 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 17 कुण्टल 11 किलो 40 ग्राम अवैध डोडा, घटना में प्रयुक्त कार, 1550/–रूपये नगद, 03 मोबाइल फोन बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना ककोड जनपद बुलन्दशहर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त**

1–तौफीक निवासी ग्राम केउना शादीपुर नंगला थाना भमौरा जनपद बरेली, हालपता–कस्बा व थाना दनकौर कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

2–इमरान निवासी ग्राम सिरोही थाना भमौरा जनपद बरेली हालपता–कस्बा व थाना दनकौर कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

**बरामदगी**

1–लगभग 04 करोड़ 25 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 17 कुण्टल 11 किलो 40 ग्राम अवैध डोडा।

2–घटना में प्रयुक्त कार।

3–03 मोबाइल फोन ।

- **<u>जनपद महराजगंज/थाना चौक (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 09 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद महराजगंज पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद महराजगंज द्वारा थाना चौक पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366 भादवि व 06 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त उग्रसेन को 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 09 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

## <u>एसटीएफः लूट/रोड होल्डअप/चोरी की घटनाओ में वांछित रू0 25,000/– का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार।</u>

दिनांक 03–05–2024 को एसटीएफ उत्तर प्रदेश को थाना रामसनेहीघाट, जनपद बाराबंकी एवं थाना पटरंगा, जनपद अयोध्या पर पंजीकृत लूट/रोड होल्डअप/चोरी के अभियोग में वांछित 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त बबलू पुत्र भाईलाल को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

**<u>गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण</u>ः**

बबलू पुत्र भाईलाल निवासी ग्राम कोइलावर मॉझा, थाना दरियाबाद, जनपद बाराबंकी।

**<u>बरामदगीः</u>**

1. 01 अदद मोटर साइकिल अपाचे।
2. 02 अदद मोबाइल फोन।
3. 500 रूपये नकद।

**<u>गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समयः</u>**

बाबा राम सनेही मंदिर के समीप, थाना राम सनेहीघाट, जनपद बाराबंकी, दिनांक 03–05–2024 समय 21:30 बजे।

एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को विगत काफी दिनों से फरार/पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय गिरोह का आपराधिक घटनाएँ कारित करने की सूचनाएँ प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देश के क्रम में श्री प्रमेश कुमार शुक्ला, पुलिस उपाधीक्षक, एसटीएफ फील्ड इकाई, अयोध्या के पर्यवेक्षण में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

उप निरीक्षक श्री सौरभ मिश्रा के नेतृत्व में उ0नि0 श्री शिवकुमार अवस्थी, मुख्य आरक्षीगण श्री अंजनी कुमार यादव, श्री संतोष सिंह, श्री विमलेन्द्र मोहन मिश्र, श्री महेश कुमार पाण्डेय, श्री रजनीश सिंह की टीम दिनांक 03–05–2024 को आपराधिक अभिसूचना संकलन के उद्देश्य से जनपद बाराबंकी में भ्रमणशील थी। इस दौरान मुखबिर से ज्ञात हुआ कि थाना राम सनेहीघाट जनपद बाराबंकी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 505/23, 509/23, 511/23, 219/24, धारा 392/411 भा0द0वि0 में वांछित 25 हजार रूपये के पुरस्कार घोषित अपराधी बबलू किसी काम से राम सनेहीघाट, जनपद बाराबंकी की तरफ आने वाला है। प्राप्त सूचना पर विश्वास कर एसटीएफ टीम द्वारा स्थानीय पुलिस को साथ लेकर बाबा राम सनेही मंदिर, थाना राम सनेहीघाट, जनपद बाराबंकी के पास पहुॅचकर घेराबंदी करते हुये अभियुक्त बबलू उपरोक्त को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके पास से उपरोक्त बरामदगी हुई।

पूछताछ के दौरान गिरफ्तार अभियुक्त बबलू ने बताया गया कि उसका 5–6 लोगो का एक गिरोह है, इस गिरोह का सरगना बबलू उपरोक्त ही है। गिरोह में मुख्य रूप से गोबिन्द, राकेष, शुभम, अरविन्द, ललित, लालचन्द्र आदि शामिल है। यह लोग एक साथ मिलकर रात्रि के समय में पूर्व से निर्धारित स्थान पर रोड के किनारे आस–पास की झाड़ियों में छिपकर बैठ जाते है तथा आने जाने वाले पिकप/ट्रक आदि को निषाना बनाते है। जब पिकप/ट्रक आदि के चालक/परिचालक शौच/पेषाब आदि करने के लिए गाड़ी रोकते है तब यह लोग इकट्ठा होकर उन पर चाकू/लोहे की रॉड आदि से हमला कर उन्हें घायल कर देते है और उनका सामान (मोबाइल, पैसे सहित अन्य सामान) लूट लेते हैं। रात्रि के समय मोबाइल लूट हो जाने के वजह से पीड़ित व्यक्ति तत्काल पुलिस को सूचना नही दे पाता है। इसी बात का फायदा उठाकर यह लोग मौके से भागने में कामयाब हो जाते है तथा बाद मे लूट के सामान को आपस में बॉट लेते हैं। इसके पास से बरामद मोटर साइकिल भी चोरी की पायी गयी है। इसके साथी ललित एवं लालचन्द्र को पुलिस द्वारा पूर्व में गिरफ्तार कर लेने के उपरान्त पुलिस से बचने के लिए इधर उधर छिपकर रह रहा था।

**<u>गिरफ्तार अभियुक्त बबलू पुत्र भाईलाल उपरोक्त का आपराधिक इतिहास निम्नवत है:–</u>**

1– मु0अ0सं0 137/23, धारा 393/427 भा0द0वि0, थाना राम सनेहीघाट, जनपद बाराबंकी।

2– मु0अ0सं0 171/23, धारा 411/413/414 भा0द0वि0, थाना राम सनेहीघाट, जनपद बाराबंकी।

3– मु0अ0सं0 505/23, धारा 392/411 भा0द0वि0, थाना राम सनेहीघाट, जनपद बाराबंकी।

4– मु0अ0सं0 509/23, धारा 392/411 भा0द0वि0, थाना राम सनेहीघाट, जनपद बाराबंकी।

5– मु0अ0सं0 511/23, धारा 399/402 भा0द0वि0, थाना राम सनेहीघाट, जनपद बाराबंकी।

6– मु0अ0सं0 219/24, धारा 392/411 भा0द0वि0, थाना राम सनेहीघाट, जनपद बाराबंकी।

7– मु0अ0सं0 98/24, धारा 379 भा0द0वि0, थाना पटरंगा, जनपद अयोध्या।

गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त को नियमानुसार थाना राम सनेहीघाट, जनपद बाराबंकी को सुपुर्द किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही थाना राम सनेहीघाट, जनपद बाराबंकी से प्रचलित है।

———